UPBG010041302020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, बागपत।
उपस्थितिः पूनम राजपूत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे० ओ० कोड– यू०पी० 6104
Session Case-875/2020

सरकार बनाम चमनगीर आदि
मु०अ०सं०–372/2018
धारा–138–1(b) विद्युत अधि०
थाना–सिंघावली अहीर, जिला–बागपत।
दिनांक–10.05.2025

पत्रावली आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अभियुक्तगण **सत्यपालगिर पुत्र सुक्कन गिरी**, **राजकुमार पुत्र प्रेमगिरी (Order Amandement Dated 30.05.2025) व सत्यपाल गिर पुत्र शिव गिरी** के संबंध में संबंधित विभाग से अपराध का शमन किए जाने संबंधी Compounding Letter की प्रतियां पत्रावली पर संलग्न है।

पूर्व में अभियुक्तगण अमित, रामप्रकाश व ओंकेश को अपराध का शमन कर लिए जाने के कारण उक्त मामले में दिनांक 09.09.2023 को तथा अभियुक्त पदमगीर को अपराध का शमन कर लिए जाने के कारण उक्त मामले में दिनांक 09.12.2023 को दोषमुक्त किया जा चुका है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उपधारा (3) के अनुसार उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का शमन कराने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना दं०प्र०सं० की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जाएगी।

चूंकि संबंधित विभाग द्वारा अपराध के शमन के लिए Compounding Letter में उल्लिखित धनराशि स्वीकार कर ली गयी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण **सत्यपालगिर पुत्र सुक्कन गिरी**, **राजकुमार पुत्र प्रेमगिरी (Order Amandement Dated 30.05.2025) व सत्यपाल गिर पुत्र शिव गिरी** को विद्युत अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (3) के अनुसार अपराध का शमन हो जाने के आधार पर उपरोक्त वर्णित मामले में दोषमुक्त किया जाता है।

शेष अभियुक्तगण के संबंध में पत्रावली नियत दिनांक 11.06.2025 को पेश हो।

(पूनम राजपूत)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–04, बागपत।

Digitally signed by POONAM RAJPUT
Date: 2025.05.30 17:17:38 SRET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court